17

बाढ़/तत्काल

कार्यालय जिलाधिकारी, औरैया।

पत्रांक 2136/दै0आ0–आपदा प्रबंधन–बाढ़/2021–22 दिनांकः अगस्त 14, 2021

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 09.08.2021 को जनपद औरैया में आई बाढ़ की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उप जिलाधिकारी (नाम से)
औरैया/अजीतमल।

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा जनपद औरैया में आई बाढ़ की समीक्षा बैठक दिनांक 09.08.2021 को दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं कि

1. जो राजस्व ग्राम(मजरा सहित) जनपद में प्रति वर्ष यमुना नदी में जल स्तर चेतावनी बिंदु 112/खतरे का बिन्दु 113 मीटर आ जाने पर ही जलमग्न हो जाते हैं, उन्हें ऊंचाई वाले स्थानों पर भूमि आवंटित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अस्तु उक्त के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं का अनुपालन कर एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें–

1. राजस्व विभाग/सिचाई विभाग के साथ सर्वे कर लिया जाय कि कौन सा राजस्व ग्राम अथवा उसका कोई मजरा अथवा राजस्व ग्राम/मजरा के कुछ आवास सर्वाधिक नीचे बसे हुए है, जो यमुना नदी में 112/113 मीटर पानी आने पर ही जलमग्न हो जाते हैं।
2. ऐसे प्रभावित होने वाले राजस्व ग्राम/मजरा/नीचे बने हुए आवासों को ऊंचे स्थानों पर पुनर्स्थापित किये जाने हेतु ग्रामसभा की भूमि चिन्हित कर ली जाय।
3. ऐसे ग्राम में ग्राम सभा की भूमि उपलब्ध है तो ऐसे ग्रामों/मजरों/नीचे बने हुए आवासों के निर्माण हेतु ग्राम सभा की बैठक बुलाकर प्रभावित परिवार को आवास स्थल आवंटन किया जाय, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु सूची बद्ध किया जा सके।
4. जिन ग्रामों में ग्राम सभा की सामान्य भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है, तो देख लिया जाय कि उसकी न्याय पंचायत में भूमि उपलब्ध हो तो उसका आवंटन किया जाय।
5. जिन ग्रामों/न्याय पंचायत में सुरक्षित श्रेणी/वन विभाग की भूमि उपलब्ध है तो किस श्रेणी हैं, उसे विनिमय के आधार पर प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कराकर विनिमय का पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।
6. ऐसे ग्राम जहां केवल वन विभाग की ही भूमि उपलब्ध है, तो अभिलेखों के आधार पर सर्वे एस0डी0ओ0 फोरेस्ट/फोरेस्ट सेटिलमेंट आफीसर के साथ ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करते हुए विनिमय का प्रस्ताव भेजा जाय। ताकि शासन को उक्त प्रस्ताव भेजा जा सके।

उक्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में दिनांक 22.08.2021 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,
14/08
(रेखा एस0 चौहान)
अपर जिलाधिकारी,
औरैया।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

16/8/21

तहसीलदार
सदर औरैया।

प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग–औरैया

तहसीलदार
औरैया

30/6/22

2. प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड औरैया स्थान दिबियापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

14/08

अपर जिलाधिकारी,
औरैया।

30/6/22

तहसीलदार
औरैया

तहसीलदार
सदर औरैया।

प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग–औरैया